भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *32

उत्तर देने की तारीख: 05.12.2023

अनुसूचित जातियों को आरक्षण

*32. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण के नए स्वरूप को अपनी सहमति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय से कर्नाटक राज्य में आंतरिक आरक्षण के नए स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि के लिए भी सहमति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या ऐसे आरक्षण को लागू किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उक्त आरक्षण को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री एस. मुनिस्वामी, संसद सदस्य द्वारा "अनुसूचित जातियों को आरक्षण" विषयक लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 32* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वर्तमान में कर्नाटक में अनुसूचित जाति के लिए कोई आंतरिक आरक्षण नहीं है।

(ख) और (ग): कर्नाटक सरकार ने दिनांक 28.03.2023 के अपने पत्र द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कर्नाटक राज्य की 101 अनुसूचित जातियों के लिए चार श्रेणियों में आंतरिक आरक्षण प्रदान करने हेतु संवैधानिक संशोधन सहित आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। शीर्षस्थ न्यायालय ने ई.वी. चिन्नैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में अपने दिनांक 05.11.2004 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि अनुसूचित जातियों को फिर से उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तथापि, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविन्दर सिंह और अन्य (वर्ष 2011 की सिविल अपील संख्या 2317) में अपने दिनांक 27.08.2020 के आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निष्कर्ष दिया है कि ई.वी. चिन्नैय्या मामले में दिए गए निर्णय पर 7 न्यायधीशों अथवा उससे अधिक न्यायधीशों की पीठ द्वारा पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। मामले को एक समुचित पीठ के समक्ष 17 जनवरी, 2024 को सुनवाई हेतु सचीबद्ध किया जाएगा।

(घ) और (ड.): कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (राज्य की सेवाओं के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं तथा नियुक्तियों अथवा पदों में सीटों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु तथा सेवाओं में नियुक्ति अथवा पदों में आरक्षण को बढ़ाकर क्रमशः 15% से 17% तथा 3% से 7% कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 29.11.2023 के पत्र के अंतर्गत सूचित किया है कि राज्य के पास आरक्षण में वृद्धि करने का अधिकार है।

*****